एक नजर में

जेठ और ससुर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज

वाराणसी : भेलूपुर पुलिस ने अंततः दुष्कर्म पीड़िता का केस गुरुवार को दर्ज कर लिया। थाना क्षेत्र में रहने वाली विवाहिता ने जेठ व ससुर के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। वह पिछले दो दिनों से थाने का चक्कर लगा रही थी। थाना प्रभारी सुधीर त्रिपाठी का कहना था कि पारिवारिक विवाद है। दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है। आरोप है कि पुलिस समझौता कराने की फिराक में थी। तभी महिला की तबीयत बिगड़ने पर विवेकानंद स्मारक अस्पताल में इलाज कराया गया। (जासं)

चोरी के आभूषण के साथ दो आरोपित गिरफ्तार

वाराणसी : कोतवाली थाना क्षेत्र के कालभैरव चौकी इंचार्ज अभय नारायण सिंह को गुरुवार को मुखबिर से सूचना मिली कि दो संदिग्ध युवक मैदागिन चौराहे पर चाय की दुकान के पास खड़े हैं। पुलिस पहुंची तो घासी टोला निवासी अरविंद सेठ को पकड़कर पूछताछ की तो उसने बताया कि 26 मार्च को सिद्ध माता गली में एक महिला दर्शन करने जा रही थी, जिसका सोने का मंगलसूत्र छीनकर मैं भाग गया था। उसे सदानंद निषाद के सोने-चांदी की दुकान पर 22,600 में बेच दिया था। आरोपित अरविंद की निशान देही पर पुलिस सोने-चांदी के कारोबारी रजवाड़ी थाना चौबेपुर निवासी सदानंद निषाद को गिरफ्तार कर उसके पास से पीली धातु 2.77 ग्राम बरामद किया। (जासं)

आरोपित विधायक अभय सिंह की ओर से बहस पूरी

वाराणसी : जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर नदेसर में 24 साल पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। आरोपित विधायक अभय सिंह की ओर से उनके वकील स्वामीनाथ यादव द्वारा जारी बहस पूरी हो गई। शेष दो आरोपितों को पक्ष रखने का अवसर देते हुए अदालत ने सात अप्रैल की तिथि मुकर्रर की। (विसं)

यूपी कालेज के छात्रों का धरना समाप्त

वाराणसी : उदय प्रताप कालेज में बीते 20 मार्च को छात्र सूर्य प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद प्राचार्य पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाए जाने की मांग को लेकर छात्र पिछले तीन दिनों से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे थे। गुरुवार की देर रात्रि कालेज के प्रबंध समिति के सदस्य मनोज सिंह के आश्वासन के पश्चात समाप्त हो गया। छात्र नेता प्रतीक उपाध्याय ने बताया कि प्रबंध समिति के सदस्य मनोज सिंह, एसीपी कैंट अपूर्व पांडेय, एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना द्वारा दिए गए आश्वासन पर धरना समाप्त कर रहे हैं। (जासं)

रेशम-कालीन उद्योग पर ब्रेक, 1000 करोड़ रुपये के आर्डर अटके

युद्ध के चलते निर्यात में समस्या व घरेलू बाजार में घटा मुनाफा, बुनकरों पर बढ़ा संकट, सरकारी राहत नीति की मांग तेज

जागरण संवाददाता, वाराणसी : पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध का असर बनारस से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर पड़ने लगा है। यानी वैश्विक समुद्री मार्गों में अस्थिरता का सीधा असर बनारस के रेशम और कालीन उद्योग पर पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि करीब 1000 करोड़ रुपये के निर्यात आर्डर फिलहाल रुके हुए हैं। लाल सागर और स्वेज नहर के रास्तों में संकट के चलते जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे व्यापार लगभग ठप हो गया है। जहाजों को केप आफ गुड होप से होकर जाना पड़ रहा है। इससे 15-20 दिनों का अतिरिक्त समय व भाड़ा लागत 20-30 प्रतिशत बढ़ गई है। ऐसे में निर्यातक अब घरेलू बाजार की ओर भी रुख कर रहे हैं।

बनारस से मध्य एशिया और यूरोप के देशों में सालाना लगभग 5000 करोड़ रुपये का निर्यात होता है, लेकिन वर्तमान हालात में 300 से अधिक निर्यातक गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं। मजबूरी में कई निर्यातक अब घरेलू बाजार की ओर रुख कर रहे हैं, जहां विदेशी मानकों के अनुरूप तैयार माल को अपेक्षित कीमत नहीं मिल पा रही है। इससे मुनाफा घटकर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। स्थिति को और जटिल बनाते हुए कच्चे माल सिल्क यार्न और जरी की कीमतों में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। लागत बढ़ने और निर्यात बाधित होने से उत्पादन चक्र प्रभावित हो रहा है। इसका सबसे अधिक असर बुनकरों पर पड़ा है। बनारस में करीब दो लाख बुनकर इस उद्योग से जुड़े हैं, जिनमें से कई अब रोजगार के विकल्प तलाशने को मजबूर हो रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम से प्राप्त सूचना के मुताबिक यान की कीमत में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। फाइबर, फेब्रिक व यार्न डाइंग की प्रोसेसिंग में उपयोग होने वाले पदार्थों की कीमत में बढ़े हैं क्योंकि डाइंग बनाने में पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ऐसे में युद्ध की स्थिति ऐसे उत्पादों की उपलब्धता को प्रभावित कर रहे हैं। लिनन यार्न बेल्जियम से मंगाया जाता है। इसकी कीमत में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

लोहता में हथकरघा पर वस्त्रों की बुनाई करती महिला बुनकर● जागरण

बनारसी साड़ी की खरीदारी करते लोग● जागरण

करघे पर साड़ी बुनता बुनकर● जागरण

बनारस से होने वाले प्रमुख निर्यात एक नजर में-(अनुमानित)

कालीन : **मूल्य :** लगभग 2200-2500 करोड़ प्रतिवर्ष **मुख्य देश :** अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, **मार्गः** समुद्री मार्ग (मुंबई/न्हावाशेवा पोर्ट - स्वेज नहर - यूरोप-अमेरिका)

रेशमी साड़ियां व वस्त्र : लगभग 1300-1500 करोड़ प्रतिवर्ष, **मुख्य देश :** यूएई, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, **मार्ग :** हवाई (दिल्ली-लखनऊ एयर कार्गो) व समुद्री मार्ग

हैंडीक्राफ्ट (लकड़ी, पीतल, पत्थर शिल्प) : **मूल्य :** लगभग 600-700 करोड़ प्रतिवर्ष, **मुख्य देश :** अमेरिका, आस्ट्रेलिया, यूरोप, **मार्गः** मुख्यतः समुद्री मार्ग।

रेडीमेड गारमेंट्स व होम फर्निशिंग : **मूल्य :** लगभग 400-500 करोड़ प्रतिवर्ष, **मुख्य देश :** यूरोप, मध्य एशिया, **मार्ग :** समुद्री और कुछ हवाई मार्ग।

कृषि उत्पाद (चावल, मसाले आदि) : **मूल्यः** लगभग 200-300 करोड़ प्रतिवर्ष, **मुख्य देश :** मध्य एशिया, खाड़ी देश, **मार्ग :** समुद्री मार्ग (कभी-कभी रेल तथा समुद्र संयोजन), **कुल निर्यात (अनुमान) :** 4000-5000 करोड़ प्रति वर्ष (बनारस व आसपास के क्षेत्र सहित)।

अन्य उत्पादों पर भी युद्ध का दिख रहा असर

बनारस व पूर्वांचल से मसालों और चावल का भी निर्यात होता है। मसालों में मुख्यतः हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, मेथी तथा गरम मसाला शामिल हैं, जिनकी मांग खाड़ी देशों, नेपाल और बांग्लादेश में रहती है। वहीं चावल में बासमती सबसे प्रमुख है, जो यूएई, सऊदी अरब, ईरान आदि देशों को भेजा जाता है, जबकि नान-बासमती चावल अफ्रीकी और एशियाई देशों में निर्यात होता है। इन वस्तुओं का परिवहन मुख्यतः समुद्री मार्ग से मुंबई व कांडला पोर्ट के जरिए होता है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों से निर्यात समय और लागत दोनों में वृद्धि देखी जा रही है।

> आर्डर पर असर पड़ा है। ईद पर मध्य एशिया में वस्त्रों की सबसे अधिक मांग होती है। युद्ध के चलते इस बार बड़ा असर पड़ा है। निर्यातक वैकल्पिक मार्ग के जरिए भी सामान भेजने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सामान्य हालात न होने से दिक्कत हो रही है। - **वैभव कपूर,** अध्यक्ष, सिल्क ट्रेड एसोसिएशन।
>
> यदि समय रहते लाजिस्टिक सपोर्ट, सब्सिडी और निर्यात प्रोत्साहन जैसे कदम उठाए जाएं, तो बनारस का यह पारंपरिक उद्योग फिर से गति पकड़ सकता है। फिलहाल, बाजार की अनिश्चितता ने पूरे सेक्टर को चिंता में डाल दिया है।
>
> - **सर्वेश श्रीवास्तव,** सचिव- लघु उद्योग भारती और वस्त्र उद्योग।

सलाखों के पीछे पहुंचे 50 बदमाश, 46.85 लाख की संपत्ति जब्त

जासं, वाराणसी : परिक्षेत्र पुलिस इन दिनों शराब व पशु तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। विगत छह माह में गाजीपुर, चंदौली व जौनपुर पुलिस ने 50 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। अपराधियों के कुल 46.85 लाख की संपत्ति जब्त की गई। कार्रवाई में चंदौली सबसे ज्यादा 33 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, जबकि दूसरे गाजीपुर पुलिस 14 बदमाशों पर शिकंजा कसकर दूसरे स्थान पर रही।

पुलिस उपमहानिरीक्षक वैभव कृष्ण ने बताया कि गैंग्स्टर एक्ट के 11 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें आरोपित नौ आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। दो मुकदमों के आरोपित रहे गैंग्स्टर बदमाश की 46.85 लाख से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। इसी तरह पाक्सो एक्ट में दर्ज 166 मुकदमे दर्ज हुए, 238 आरोपित दबोच गए। छह माह में पशु तस्करी के 104 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें आरोपित 238 को दबोचा गया। पुलिस ने पशु तस्करी में लिप्त 605 गोवंश, 73 किलो मांस व 115 वाहन बरामद बरामद किए। पशु तस्करों पर गुंडा एक्ट, गैंग्स्टर व हिस्ट्रीशीट खोलने जैसी कार्रवाई की गई है। इसी तरह आबकारी अधिनियम में 393 मुकदमों में आरोपित 616 आरोपितों को गिरफ्तार कर 45,329 लीटर अंग्रेजी और 4,022 लीटर देशी शराब बरामद बरामद किया। चंदौली पुलिस ने गोपाल नामक बदमाश को नया चिह्नित किया। माफिया की 22.38 लाख की संपत्ति जब्त की गई है।

तीन महिला समेत 11 दारोगा बने चौकी प्रभारी

जासं, वाराणसी : पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुमार ने गुरुवार को 18 दारोगाओं को नई जिम्मेदारी दी, जिसमें तीन महिलाएं समेत 11 दारोगाओं को पुलिस चौकी प्रभारी बनाया गया है।

पुलिस मुख्यालय से जारी सूचना के मुताबिक दारोगा आशा गौड़ को पुलिस चौकी प्रभारी आशा ज्योति केंद्र थाना कैंट, संध्या जायसवाल को चौकी प्रभारी मुर्दहा थाना चोलापुर, मानवी शुक्ला को चौकी प्रभारी सेंट्रल जेल थाना शिवपुर, चंद्र भूषण को चौकी प्रभारी अजगरा थाना चोलापुर, विशाल सिंह को चौकी प्रभारी बीएलडब्ल्यू थाना मंडुवाडीह, धर्मेंद्र राजपूत को चौकी प्रभारी अखरी थाना रोहनिया, अनुज कुमार शुक्ला को चौकी प्रभारी पुरानापुल थाना सारनाथ, राम कुमार पांडेय को चौकी प्रभारी मड़ौली थना मंडुवाडीह, प्रभाकर सिंह को चौकी प्रभारी गिलट बाजार थाना शिवपुर, प्रभाकर सिंह को चौकी प्रभारी लालपुर थाना लालपुर पांडेयपुर, रामरूप को चौकी प्रभारी सरायमोहना थाना सारनाथ भेजा गया है। इसके अलावा मंदीप मिश्रा को पुलिस उपायुक्त ने अपना पीआरओ बनाया है।

नियमों की अनदेखी में फंसीं 29 फर्में, निगम ने किया ब्लैक लिस्ट

- धरोहर राशि और टेंडर फीस जमा किए बिना ही किया था निविदा में प्रतिभाग
- आंतरिक जांच में पुष्टि होने पर संबंधित ठेकेदारों, संस्थाओं को किया प्रतिबंधित

जासं, वाराणसी : नगर निगम ने विभिन्न कार्यों की टेंडर प्रक्रिया के दौरान लापरवाही व नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया है। सामान्य अभियंत्रण विभाग ने ऐसी 29 फर्मों और संस्थाओं को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट (काली सूची) में डाल दिया है, जिन्होंने धरोहर राशि (ईएमडी) और टेंडर फीस जमा किए बिना ही निविदा में प्रतिभाग किया था। निगम द्वारा आमंत्रित निविदाओं में संबंधित फर्मों के लिए ईएमडी की धनराशि और टेंडर फीस जमा करना अनिवार्य था।

इसके बावजूद कई ठेकेदारों और संस्थाओं ने इन वित्तीय औपचारिकताओं को पूरा किए बिना ही निविदा में हिस्सा ले लिया। आंतरिक जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद, निगम ने इसे सरकारी प्रक्रिया में बाधा डालने और नियमों की खुली अवहेलना माना है। सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन ने इन फर्मों को काली सूची में डाल दिया है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल की इस कार्रवाई से उन ठेकेदारों में हड़कंप मचा है। सामान्य इंजीनियरिंग विभाग का कहना है कि भविष्य में भी पारदर्शिता से समझौता करने वाली फर्मों पर इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम वाराणसी

ये फर्मे हुई ब्लैकलिस्ट : बीएलडी कन्स्ट्रक्शन एंड सप्लायर, मां गंगा कन्स्ट्रक्शन, शांति इंफ्रा, देव इंफ्रा, श्रीराम डेवलपर्स, कुशाग्र इंफ्रा, सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्शन, बाबा विश्वनाथ ट्रेडर्स, विराज इंफ्रा, आरके कन्स्ट्रक्शन, रवि नारायण सिंह, श्रीवत्री विशाल विभु इंफ्रा, बनारस एसोसिएट, राज एसोसिएट, श्रीजी इन्फ्रा, श्री विकास इंफ्रा, इंद्रपमा कन्स्ट्रक्शन, कुश इंफ्रा, वैष्णो इंफ्रा, बालाजी इंफ्रा, त्रिदेव इंफ्रा, सुषमा कन्स्ट्रक्शन, अयांश इंफ्रा, सिद्धि इंफ्रा, धाम इंफ्रा, आरपी इंफ्रा, श्रीविष्णु इंफ्रा, अजा कन्स्ट्रक्शन, कृष्णा इंफ्रा फर्में शामिल हैं।

एकमुश्त समाधान योजना से ब्याज में मिलेगी छूट

जासं, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से "एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2026" लागू होने के साथ आवासीय, व्यावसायिक समेत सभी संपत्तियों के ब्याज में छूट मिलेगी। वीडीए ने सभी आवंटियों को योजना का लाभ लेने की अपील की है। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने बताया कि ओटीएस के तहत आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियों के सभी आवंटियों को योजना का मिलेगा। योजना शुरू होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर आवंटियों को आवेदन करना होगा, उसी अवधि में प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। एक साथ बकाया राशि जमा करने पर आवंटी को तीन प्रतिशत अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

परीक्षा देने निकला छात्र लापता, दी गई तहरीर

जासं, वाराणसी: मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में गुरुवार को अंबिका मौर्य द्वारा प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि 11 फरवरी को एसएससी की परीक्षा देने घर से निकला रिषभ मौर्य प्रयागराज-झूंसी गया था, लेकिन लौटकर नहीं आया। परिजन आदमपुर थाना में तहरीर दिए कार्रवाई नहीं हुई।

दो-दो मुख्यमंत्री आज शहर में एयरपोर्ट से शहर तक कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध

- ट्रैफिक पुलिस की अपील वैकल्पिक मार्गो का करें इस्तेमाल
- जरूरी होने पर ही वीवीआइपी मूवमेंट वाले वाले मार्ग पर जाएं

बीएलडब्ल्यू परिसर के अंदर रहेगा डायवर्जन

सिनेमा तिराहा, कुंदन तिराहा, सेंट्रल मार्केट, सूर्य सरोवर, चेतना विद्यालय, इंटर कालेज चौराहा व गोमती मार्केट सहित कई स्थानों से कार्यक्रम स्थल की ओर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी वाहनों को अन्य मार्गों की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

संपर्क नंबर ट्रैफिक कंट्रोल रूम : 7839856994

ट्रैफिक हेल्पलाइन : 7317202020।

जागरण संवाददाता, वाराणसी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तीन अप्रैल को शहर में होंगे। दो-दो वीवीआइपी की मौजूदगी के दृष्टिगत यातायात विभाग ने उनके आवाजाही वाले मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित किया है। अपर पुलिस उपायुक्त यातायात ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए आमजन से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और अत्यंत आवश्यक होने पर ही संबंधित मार्गों पर यात्रा करें।

यातायात पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक एयरपोर्ट से शहर तक विशेष डायवर्जन रहेगा। वीवीआइपी के आवागमन के दौरान बाबतपुर एयरपोर्ट से सर्किट हाउस व बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस तक कई प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। वीवीआईपी के आगमन व प्रस्थान से एक घंटा पूर्व बाबतपुर पुलिस चौकी से शहर की ओर बड़े वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा, जिन्हें बड़ागांव की ओर डायवर्ट किया जाएगा। इस दौरान हरहुआ व तरना फ्लाई ओवर पर आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। रोडवेज बसों और अन्य बड़े वाहनों को हरहुआ रिंग रोड अंडरपास, परमपुर, लोहता व चांदपुर मार्ग से निकाला जाएगा। गिलट बाजार की ओर भी बसों का प्रवेश रोका जाएगा। शहर में कई स्थानों पर वीवीआइपी मूवमेंट के दौरान यातायात प्रतिबंधित किया गया है। एडवाइजरी मुताबिक संपूर्णानंद और विशेश्वरगंज तिराहा से दोपहर तीन बजे के बाद टेंपो ट्रैवलर, क्रूजर जैसे वाहनों का आवागमन लहुराबीर, मैदागिन और कालभैरव की ओर प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को क्रमशः लकड़मंडी और गोलगड्डा की ओर डायवर्ट किया जाएगा। मंडुवाडीह, चांदपुर, मुड़ैला, बऊलिया, महमूरगंज, लहरतारा, भिखारीपुर सहित कई चौराहों पर वाहनों का आवागमन रोका जाएगा।

जनगणना अगले माह से, 10 हजार से अधिक गणना सहायक की तैनाती

जागरण संवाददाता, वाराणसी: जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। अगले महीने यानी मई से इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण के बाद अब गणना प्रगणकों को ट्रेंड करने में जुटेंगे। जिले में दस हजार से अधिक गणना प्रगणक लगेंगे। एक प्रगणक के जिम्मे 800 की आबादी यानी लगभग 170 घर की जिम्मेदारी होगी। यह घर घर जाकर पूरा डेटा कलेक्शन करेंगे।

यह 16वीं भारतीय जनगणना पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। नागरिकों को सात से 21 मई तक स्व-गणना पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी खुद भरने का विकल्प भी मिलेगा। इस चरण में पब्लिक के लिए जारी एप या वेबसाइट पर घर से जुड़े 33 सवाल भर सकेंगे। हिंदी, अंग्रेजी समेत 16 भाषा फार्म भरने की छूट होगी। इसमें मकान कच्चा, पक्का समेत अन्य जानकारी देनी होगी। प्रथम चरण की जनगणना 22 मई से 20 जून तक निर्धारित है। इस अवधि में मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना होगी।

लीज डीड नहीं देने पर पीएनयू क्लब का बार बंद

जागरण, वाराणसी : छावनी स्थित दी प्रभु नारायण यूनियन क्लब (पीएनयू) के लीज डीड का नवीकरण नहीं होने पर आबकारी विभाग ने बार बंद कराने के साथ उनके बचे शराब को परिसर के एक कमरे में सील कर दिया है। बार-बार मांगने के बाद भी पीएनयू क्लब के पदाधिकारी लीज डीड नहीं दे पा रहे थे। पिछले वर्षों में फीस जमा होने के चलते आबकारी विभाग ने बार को बंद नहीं कराया था लेकिन इस बार आबकारी विभाग ने ऐसी गलती नहीं की। 28 दिसंबर-2022 से जिला आबकारी अधिकारी क्लब को नोटिस जारी कर लीज डीड मांग रहे थे। दी प्रभु नारायण यूनियन क्लब रक्षा संपदा की जमीन पर है। क्लब ने लीज पर जमीन और भवन लिया है। पिछले वर्षों में रक्षा संपदा ने खाली जमीन लेने के लिए क्लब को नोटिस कर डुगडुगी तक बजवाई थी। जमीन को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं, क्लब में बार लाइसेंस को लेकर तत्कालीन जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा व जिला आबकारी अधिकारी क्लब को नोटिस भेजते रहे रहे लेकिन क्लब संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। तत्कालीन डीएम ने 15 जून-2020 को क्लब को कारण बताओ नोटिस कर जवाब मांगा। तीन सितंबर-2020 को क्लब को नोटिस जारी कर लीज डीड मांगी थी।

> पीएनयू क्लब को बार लाइसेंस को लेकर नोटिस जारी कर लीज डीड मांगी गई है। लीज डीड नहीं देने पर बार लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में एक अप्रैल से बार बंद करा दिया गया है। उनके बचे शराब को परिसर के एक कमरे में सील कर दिया गया है। - **कमल कुमार तिवारी,** जिला आबकारी अधिकारी।

प्रशासनिक जज से मिले सेंट्रल बार के पदाधिकारी

जासं, वाराणसी: जिले के नवनियुक्त प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति सिद्धार्थ से सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमप्रकाश सिंह गौतम और महामंत्री आशीष सिंह के नेतृत्व में गुरुवार को अधिवक्ताओं का एक शिष्टमंडल इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थित उनके चैंबर में मिला। वाराणसी आगमन का आमंत्रण दिया। इस पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने शिष्टमंडल को आश्वस्त किया की जल्द वाराणसी आएंगे और कचहरी के विकास पर चर्चा होगी। अंकुर प्रकाश, कुलदीप सिंह, जितेंद्र कुमार दुबे, राजेश कुशवाहा, संतोष पाल आदि थे।

नवनियुक्त प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति सिद्धार्थ संग सेंट्रल बार एसो. के पदाधिकारी

अनुदानित यूरिया के गलत इस्तेमाल पर औद्योगिक संस्थाओं पर छापेमारी

जागरण संवाददाता, वाराणसी : प्रमुख सचिव कृषि के निर्देश पर गुरुवार को उर्वरक निरीक्षक व उद्योग विभाग के अधिकारियों की टीम ने जिले में कैटल व कुक्कुट फीड, साबुन, पेंट, वार्निस, मुद्रण स्याही, लेमिन बोर्ड समेत अन्य औद्योगिक संस्थाओं पर छापेमारी कर अनुदानित यूरिया के प्रयोग की जांच की और दो टेक्निकल ग्रेड यूरिया का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा। गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई तय है। हालांकि किसी भी संस्थान में अनुदानित यूरिया पड़ताल में नहीं मिला। शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जिला कृषि अधिकारी संगम सिंह एवं उद्योग विभाग के सहायक प्रबंधक श्रीपाल को तहसील-सदर, जिला कृषि रक्षा अधिकारी बृजेश विश्वकर्मा व सहायक आयुक्त उद्योग ध्रुव सिंह तहसील-राजातालाब आदि क्षेत्रों की जांच सौंपी है।

PUNAM® Since 1958
सभी प्रकार की सिलाई मशीनें
पूनम एजेन्सीज़
I.M.A. बिल्डिंग के सामने, लहुराबीर, वाराणसी
M-9336599933, 9670111888

pcf उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0
32, स्टेशन रोड, लखनऊ

निविदा ई-टेण्डरिंग की सूचना

परिवहन ठेकेदारों / फर्मस / कम्पनीज से दिनांक 31.03.2028 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में उर्वरक एवं बीज परिवहन, रैक हैण्डलिंग, रिबैगिंग तथा पल्लेदारी कार्य हेतु ई-निविदायें यू0पी0 ई-टेण्डर वेबसाइट https://etender.up.nic.in से डाउनलोड कर दिनांक 18.04.2026 को अपराहन 03.00 बजे तक उक्त पर अपलोड की जायेंगी। निविदा प्रपत्र एवं सम्बन्धित समस्त जानकारी नियम व शर्तें उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

www.jagran.com पर

दैनिक जागरण
आवश्यकता है
सेल्स कार्य हेतु युवक/युवतियों की
आयुः 18 से 35 वर्ष, योग्यताः इंटरमीडिएट/स्नातक
इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायोडाटा एवं पासपोर्ट साइज फोटो के साथ मिलें
(एंडरॉयड मोबाइल फोन वाले को वरीयता)
आज ही सम्पर्क करें
इच्छुक व्यक्ति अपने बायोडाटा के साथ दिनांक 3 से 4 अप्रैल 2026 को दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक सम्पर्क करें
Email: ashok.shukla@vns.jagran.com
सिर्फ कुछ घण्टे काम करके कमायें
रु. 15000/- से 20000/- प्रतिमाह तक
दैनिक जागरण कार्यालय, प्लाट नं. 321, पुराना जीटी रोड, नदेसर, वाराणसी, मो. 7007657762

निर्मला सोलर पावर जनरेशन प्रा.लि.
प्रधानमंत्री सूर्य घर
मुफ्त बिजली
योजना
Rs. 1,08,000/-
SUBSIDY
SCAN ME
अपना घर, अपना बिजली
25 साल तक बिजली बिल से मुक्ति
9319483455

आवश्यक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 4/2025 धारा 305,319(2),318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/5 क/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वांछित अभियुक्त एजाज उर्फ सोनू पुत्र महबूब अली निवासी नक्खी घाट थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2025 को एनबीडब्ल्यू - दिनांक 23.10.2025 को धारा 84 बीएनएसएस की [illegible] निर्गत की जा चुकी है और 84 बीएनएसएस की उद्घोषणा नियमानुसार [illegible] ने लाई जा चुकी है, फिर भी अभियुक्त [illegible] फरार चल रहा है।

अभियुक्त उपरोक्त ना तो विवेचक के समक्ष और ना ही माननीय न्यायालय एसीजेएम 13 प्रतापगढ़ के समक्ष उपस्थित हो रहा है। यदि अभियुक्त एजाज उर्फ सोनू उपरोक्त किसी व्यक्ति को दिखाई दे तो निम्न अधिकारीगण को उनके मोबाइल नंबरों पर सूचित करने की कृपा करें।

क्षेत्राधिकारी लालगंज, प्रतापगढ़-9454401296
प्रभारी निरीक्षक थाना लीलापुर, प्रतापगढ़-9454458249
विवेचक/उप निरीक्षक थाना लीलापुर, प्रतापगढ़-9696890330

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ़ बड़ौदा

क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा प्रथमतल, श्री बेरीवाला स्मृति भवन, पीडीआर मॉल के पास, लक्सा रोड, वाराणसी 221010 (यू.पी.) Email: sarvar@bankofbaroda.com,
Website: www.bankofbaroda.bank.in, Mob. No.: 9554959534

विस्तृत नियम व शर्तों के साथ वाहन ई-नीलामी सूचना

सामान्य जनता और विशेष रूप से ऋणी (ऋणकर्ताओं) एवं जमानतकर्ता (जमानतकर्ताओं) को सूचित किया जाता है कि बैंक ने पक्षकारों द्वारा निष्पादित बंधक/ऋण समझौते के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित बंधक वाहन को वापस ले लिया है/ जब्त कर लिया है और वाहन को नीचे उल्लिखित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए 'जहां है जैसा है, जो है जैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। ऋणी/जमानतकर्ता/वाहन/कुलबकाया/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी तिथि व समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है-

क्र. सं.	ऋणी/जमानतकर्ता का नाम और पता	कुल देय राशि	वाहन ब्रांड और मॉडल आरटीओ पंजीकरण संख्या	1. ई-नीलामी की तिथि 2. बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय	1. आरक्षित मूल्य, 2. बयाना राशि जमा (ईएमडी) 3. बोली वृद्धि राशि	ईएमडी जमा खाता संख्या, आईएफएससी कोड व शाखा	वाहन निरीक्षण तिथि और समय
1.	ऋणी- श्री अजीत कुमार पटेल पुत्र श्री बनारसी सिंह पता: ग्राम - पोस्ट: रामपुर कला, रामपुर, चंदौली (उ.प्र.) - 232103	₹ 56,31,967.79 + अन्य शुल्क एवं खर्चे दिनांक 13.12.2025	Commercial Vehicle - Truck-Tip Trailer/Articulated Vehicle- Ashok Leyland Ltd NA5525N/34T Chassis No.- MB1T2VLD3PPJW8227 Registration No: BR45GB0970	नीलामी की तिथि 23.04.2026 नीलामी की समय 02:00 बजे शाम 06:00 बजे तक	1. आरक्षित मूल्य रु. 13,50,000/- 2. ईएमडी रु. 1,35,000/- 3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/-	खाता संख्या 60070015181869 IFSC BARB0SARVAR शाखा - आर.ओ.एस. ए.आर.बी. वाराणसी	दिनांक 22.04.2026 तक समय 02:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित लिंक पर अवलोकन करें www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm & https://baanknet.com तथा इच्छुक बोलिकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के मो. नं. 9554959534, ई-मेल sarvar@bankofbaroda.com से संपर्क करें।

दिनांक : 02.04.2026 स्थान : वाराणसी प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा